उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-11
संख्या-83/2022/525ई/23-11-2022-82ई/2019
लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2022

कार्यालय आदेश

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बोर्ड बैठको में लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से प्रतिभाग किये जाने हेतु संलग्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को एतद्द्वारा पदेन नामित/अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अधिकारीगण लोक निर्माण विभाग की नीतियों से भिज्ञ रहेंगे एवं उक्त बोर्ड बैठकों में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तदनुरूप अभिमत व्यक्त किया जायेगा।

संलग्नक यथोक्त।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बोर्ड बैठको में प्रतिभाग करने हेतु लोक निर्माण विभाग के नामित अधिकारी

क्र0	संस्था	नामित अधिकारी का स्तर
1	नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर, नोएडा।	मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
2	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा।	मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
3	यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा।	मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4	उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ।	मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा), सेक्टर-डी, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।	मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), सिविल लाइन्स, गोरखपुर।	मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
7	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर।	मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
8	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), कानपुर।	मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, कानपुर।
9	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा), भदोही।	मुख्य अभियन्ता, मिर्जापुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।